C-५७३ / ५ / —२
(65)

माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2003 निगरानी

R-644-III/2003

श्री संतोष सिंह - एडवोकेट द्वारा आज दि० 30/4/03 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
30 APR 2003

रामबहादुर सिंह पुत्र श्री डोंगरसिंह
आयु 45 वर्ष, व्यवसाय- नौकरी
निवासी: ग्राम बालूपुरा, तहसील
मेहगांव जिला भिण्ड -- प्रार्थी

बनाम

1- मुलूसिंह पुत्र श्री भूरेसिंह, भदौरिया
जाति -ठाकुर, निवासी ग्राम बालूपुरा
तहसील मेहगाव जिला -भिण्ड

-- प्रतिप्रार्थी क्रमांक-1

2- प्रहलादसिंह पुत्र श्री रामदयाल सिंह
निवासी ग्राम बालूपुरा, तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड

3- सरदार सिंह पुत्र श्री बटुरीसिंह
निवासी: ग्राम बालूपुरा तहसील मेहगावं
जिला भिण्ड

4- भैरोसिंह पुत्र श्री बटुरीसिंह
निवासी- ग्रामबलूपुरा, तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड

5- ब्रजेशसिंह पुत्र श्री भैरासिंह, नाबालिग
निवासी-बालूपुरा तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड

6- नरोत्तम सिंह पुत्रश्रीभैरोसिंह(नाबालिग)
व सरपरस्त मां चुन्नीबाईपत्नीभैरासिंह
निवासी ग्राम बालूपुरा तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड

--- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र आधीन धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना दिनांक 26.2.2003, प्रकरण क्रमांक

राहुल तिवारी
शपथ आयुक्त
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
30.4.03

30/4/03
Santosh Sharma Ad.

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (2)

प्रकरण कमांक 644/तीन/2003 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
15-2-06	पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये। यह निगरानी आवेदकगण व्दारा अपर आयुक्त ,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक १५/२००१-०२ अपील में पारित आदेश दिनांक २६-२-२००३ के विरूद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि तहसीलदार वृत्त गोरमी तहसील मेहगॉव ने प्रकरण कमांक ३/९३-९४ अ २७ में पारित आदेश दिनांक ५-१-१९९५ से सहखातेदार सिरदार सिंह एंव अन्य तीन एंव प्रहलाद सिंह के बीच खाता कमांक ३० एंव ३१ पर धारित भूमियों का बटवारा किया , जिसे अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने प्रकरण कमांक ९८/१९९४-९५ अपील में पारित आदेश दिनांक ३१-१०-९६ से निरस्त कर दिया एंव प्रकरण पुनः सुनवाई कर पुनः बटवारा किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। ३/ तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस पहुंचने पर तहसीलदार वृत्त गोरमी तहसील मेहगॉव ने पक्षकारों की सुनवाई कर प्रकरण कमांक ३/९३-९४ अ २७ में पारित आदेश दिनांक १०-१-२००० से पुनः बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील कमांक २७/२०००-०१ प्रस्तुत होने पर	

आदेश दिनांक ३१-१०-२००१ से अपील अवधि-वाह्य पाकर निरस्त कर दी गई क्योंकि तहसीलदार के आदेश दिनांक १०-१-२००० के विरूद्ध अपील ६-१-२००१ को प्रस्तुत हुई थी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक ३१-१०-२००१ के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील हुई एंव उन्होंने अपील क्रमांक १५/२००१-०२ में पारित आदेश दिनांक २६-२-२००३ से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक ३१-१०-२००१ निरस्त करके अपील समयावधि में मानते हुये गुणदोष के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

४/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक ३१-१०-०१ को इसलिये निरस्त किया है कि रिस्पा०क० २ लगायत ५ ने जब भूमि मुलूसिंह को विक्रय कर दी थी तब उनका कर्तव्य था कि वह न्यायालय को सूचित करते कि बटवारे में प्राप्त भूमि उन्होंने मुलूसिंह को विक्रय कर दी है तब क्रेता मुलूसिंह भी अपना पक्ष रख सकता था । अतएव मुलूसिंह के विरूद्ध बटवारा आदेश एकपक्षीय है और इसी आधार पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है। अपर आयुक्त व्दारा निकाला गया यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है क्योंकि जिस दिन मुलूसिंह ने भूमि क्रय कर ली उसके हित भूमि से जुड़ चुके है इस

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 644/तीन/2003 निगरानी

जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	प्रकार अपर आयुक्त व्दारा निकाला गया निष्कर्ष सही है कि केता मुलूसिंह को जब बटवारा आदेश की जानकारी हुई, जानकारी के वाद उसने अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की है जिसे जानकारी के दिन से समयवाह्य नहीं माना जा सकता। ५/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त ,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक १५/२००१-०२ अपील में पारित आदेश दिनांक २६-२-२००३ उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है। सदस्य	